भारत सरकार Government of India

रेल मंत्रालय Ministry of Railways

रेलवे बोर्ड (Railway Board)

International Year of Cooperatives 2025

RBA.No. 30/2025

No. 2023/BC-AP-1.9/17/22-23 New Delhi, Dated: 31/10/2025

Principal Financial Advisors,
All Zonal Railways/PUs .

Sub: Recoveries at the instance of Audit.

Kindly refer to Board's instructions issued from time to time advising the Railways/PUs to strengthen the internal check mechanism to prevent recurrence of lapses leading to recoveries pointed out by Audit.

In this regard, it has been observed that the overall recoveries agreed by Zonal Railways/PUs as reported in the C&AG's Report for the year ended March 2023 have increased to ₹466.81 crore from ₹222.80 crore reported for the year ended March 2022, as indicated below:

(Rs. in Crores)

S.No.	Railways	2021-22	2022-23
1	WCR	4.92	1.30
2	CR	2.84	5.21
3	NWR	36.18	11.86
4	NFR	11.53	10.97
5	SER	62.83	7.84
6	NCR	0.01	2.71
7	SWR	8.19	8.75
8	WR	8.25	52.85
9	ER	19.88	34.80
10	RPU	0.31	46.03
11	NER	1.52	88.90
12	SECR	1.27	5.10
13	SR	5.21	13.65
14	ECR	32.04	123.97
15	SCR	16.29	35.22
16	ECoR	4.30	2.90
17	NR	7.22	14.75
	TOTAL	**222.80**	**466.81**

Further, as per the replies to the Action Taken Notes (ATNs) for the Audit Paras, the overall recovery at the instance of Audit as agreed by Zonal Railways/PUs has increased from ₹208.18 crore to ₹322.34 crore, as shown below:

(Rs. in Crores)

S.No.	Railways	2021-22	2022-23
1	WCR	4.92	1.30
2	CR	2.84	5.21
3	NWR	36.18	11.86
4	NFR	11.17	10.97
5	SER	59.77	7.84
6	NCR	0.0094	2.40
7	SWR	7.89	2.96
8	WR	8.25	52.85
9	ER	14.84	6.31
10	RPU	NA	0.88
11	NER	15.24	24.40
12	SECR	1.083	5.46
13	SR	5.21	13.65
14	ECR	15.17	123.97
15	SCR	16.29	35.22
16	ECoR	3.83	2.90
17	NR	3.26	6.21
18	RWF	0.29	5.59
19	PLW	0.001053	0
20	RDSO	1.94	2.36
	TOTAL	**208.18**	**322.34**

The recoveries effected so far amount to ₹194.91 crore for the year 2022–23. Necessary action may please be taken to ensure expeditious recovery of the remaining amount.

It is further observed that recoveries arising from **sources other than internal check** constitute approximately **90% of the total amount agreed** by Zonal Railways. The details of such cases may be furnished to the Board for information. All Zones are requested to coordinate closely to ensure that accurate and reconciled figures are reflected in the Audit Paras.

Instances of short collections or over payments may be analyzed to identify recurring deficiencies, and suitable **guidelines/instructions** may be issued to all concerned to prevent recurrence of such lapses in future.

Further, besides ensuring complete recoveries of undercharges/ overpayments from staff or parties concerned, **special test checks and inspections** may be conducted to preclude such occurrences henceforth.

Digitally signed by
SANJEEV JAIN
Date: 03-11-2025
10:15:43

(Sanjeev Jain)
Principal Executive Director (Accounts)
Railway Board

भारत सरकार/ GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/ MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड/ RAILWAY BOARD)

आरबीए सं. 30/2025
सं.2023-बीसी-एपी-1.9/17/22-23 नई दिल्ली, दिनांक: 31/10/2025

प्रधान वित्त सलाहकार,
सभी क्षेत्रीय रेलें/उत्पादन इकाइयां।

विषय: लेखा-परीक्षा के आधार पर वसूली।

कृपया समय-समय पर जारी बोर्ड के अनुदेशों का अवलोकन करें, जिसमें रेलों/उत्पादन इकाइयों से लेखा-परीक्षा (ऑडिट) द्वारा इंगित वसूलियों संबंधी चूकों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए आंतरिक जांच तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए कहा गया है।

इस संबंध में यह देखा गया है कि मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में बताए गए अनुसार मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए क्षेत्रीय रेलों/उत्पादन इकाइयों द्वारा सहमति स्वरूप की गई वसूलियां 222.80 करोड़ रुपए से बढ़कर 466.81 करोड़ रुपए हो गई है, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

(राशि करोड़ रु. में)

क्र.सं.	रेलवे	2021-22	2022-23
1	पश्चिम मध्य रेलवे	4.92	1.30
2	मध्य रेलवे	2.84	5.21
3	उत्तर पश्चिम रेलवे	36.18	11.86
4	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे	11.53	10.97
5	दक्षिण पूर्व रेलवे	62.83	7.84
6	उत्तर मध्य रेलवे	0.01	2.71
7	दक्षिण पश्चिम रेलवे	8.19	8.75
8	पश्चिम रेलवे	8.25	52.85
9	पूर्व रेलवे	19.88	34.80
10	आरपीयू	0.31	46.03
11	पूर्वोत्तर रेलवे	1.52	88.90
12	दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे	1.27	5.10
13	दक्षिण रेलवे	5.21	13.65
14	पूर्व मध्य रेलवे	32.04	123.97
15	दक्षिण मध्य रेलवे	16.29	35.22
16	पूर्व तट रेलवे	4.30	2.90

17	उत्तर रेलवे	7.22	14.75
	कुल	222.80	466.81

इसके अलावा, लेखा-परीक्षा पैराओं के लिए की गई कार्रवाई टिप्पणियों के उत्तरों के अनुसार, क्षेत्रीय रेलों/उत्पादन इकाइयों द्वारा सहमति के अनुसार लेखा-परीक्षा के अनुसार समग्र वसूली 208.18 करोड़ रुपए से बढ़कर 322.34 करोड़ रुपए हो गई है, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

(राशि करोड़ रु. में)

क्र.सं.	रेलवे	2021-22	2022-23
1	पश्चिम मध्य रेलवे	4.92	1.30
2	मध्य रेलवे	2.84	5.21
3	उत्तर पश्चिम रेलवे	36.18	11.86
4	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे	11.17	10.97
5	दक्षिण पूर्व रेलवे	59.77	7.84
6	उत्तर मध्य रेलवे	0.0094	2.40
7	दक्षिण पश्चिम रेलवे	7.89	2.96
8	पश्चिम रेलवे	8.25	52.85
9	पूर्व रेलवे	14.84	6.31
10	आरपीयू	लागू नहीं	0.88
11	पूर्वोत्तर रेलवे	15.24	24.40
12	दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे	1.083	5.46
13	दक्षिण रेलवे	5.21	13.65
14	पूर्व मध्य रेलवे	15.17	123.97
15	दक्षिण मध्य रेलवे	16.29	35.22
16	पूर्व तट रेलवे	3.83	2.90
17	उत्तर रेलवे	3.26	6.21
18	रेल पहिया कारखाना	0.29	5.59
19	पीएलडब्ल्यू	0.001053	0
20	आरडीएसओ	1.94	2.36
	कुल	208.18	322.34

वर्ष 2022-23 के लिए अब तक की गई वसूली 194.91 करोड़ रुपए है। कृपया शेष राशि की शीघ्र वसूली सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाए।

यह भी देखा गया है कि आंतरिक जांच के अलावा अन्य स्रोतों से होने वाली वसूली, क्षेत्रीय रेलों द्वारा सहमत कुल राशि का लगभग 90% है। ऐसे मामलों का विवरण बोर्ड को सूचनार्थ प्रस्तुत किया जाए। सभी क्षेत्रीय रेलों से अनुरोध है कि वे निकट समन्वय स्थापित करें

ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि लेखा-परीक्षा पैराओं में सटीक और समन्वित आंकड़े प्रतिबिंबित हों।

कम वसूली या अधिक भुगतान के मामलों का विश्लेषण किया जाए ताकि आवर्ती कमियों की पहचान की जा सके, तथा भविष्य में ऐसी चूकों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सभी संबंधितों को उपयुक्त दिशा-निर्देश/अनुदेश जारी किए जाएं।

इसके अलावा, संबंधित कर्मचारियों/पक्षों से की गई कम वसूली/अधिभुगतान की वसूली सुनिश्चित करने के अलावा, भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए विशेष नमूना जांच और निरीक्षण किए जाएं।

(संजीव जैन)
प्रधान कार्यपालक निदेशक (लेखा)
रेलवे बोर्ड